कार्यालय पुलिस उपायुक्त, काशी जोन कमिश्नरेट, वाराणसी।

प्रेस नोट

दिनांक- 13-04-2024

विषयः- एस0ओ0जी0/इंटेलिजेन्स विंग व थाना चितईपुर की संयुक्त टीम द्वारा 02 नफर अन्तर्राज्यीय गांजा तस्कर गिरफ्तार, कब्जे से 40.710 किलोग्राम गांजा (अनुमानित कीमत करीब 40 लाख रूपये) बरामद।

श्रीमान पुलिस आयुक्त महोदय व संयुक्त पुलिस आयुक्त अपराध द्वारा कमिश्नरेट वाराणसी में अपराध की रोकथाम व वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी व मादक पदार्थों की बिक्री व तस्करी की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में एवं पुलिस उपायुक्त काशी जोन, पुलिस उपायुक्त अपराध व अपर पुलिस उपायुक्त अपराध के पर्यवेक्षण में तथा सहायक पुलिस आयुक्त भेलुपुर के कुशल नेतृत्व में दिनांक 12.04.2024 को वाराणसी एस0ओ0जी0 व थाना चितईपुर पुलिस टीम द्वारा 02 नफर अन्तर्राज्यीय गांजा तस्करों को गिरफ्तार कर उनके पास से 40.710 किलोग्राम अवैध गांजा व घटना में प्रयुक्त 01 अदद स्विफ्ट डिजायर नं0 OR15 N 4799 बरामद किया गया।

दिनांक 12.04.2024 को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि एक स्विफ्ट कार ग्रे कलर की जो डाफी टोल से आ रही है तथा नुवाव चौराहे से शहर के तरफ जायेगी, जिसमें गांजा लदा है यदि जल्दी किया जाये तो पकड़े जा सकते हैं। मुखबिर की सूचना पर विश्वास करते हुए वाराणसी एस0ओ0जी0/इंटेलिजेन्स विंग प्रभारी उ0नि0 मनीष मिश्रा मय हमराह व थाना चितईपुर पुलिस टीम द्वारा संयुक्त रूप से करमनबीर तिराहा चितईपुर पर बैरिकेटिंग लगाकर वाहनों की चेकिंग की जाने लगी, कुछ देर बाद नुवाव चौराहे की तरफ से एक स्विफ्ट कार ग्रे कलर की आते हुई दिखाई दी, जिसे रोककर चेकिंग की गई तो उक्त कार की डिग्गी से 02 बोरी में अवैध गांजा बरामद हुआ। अभियुक्तगण 1. दीपक कुमार प्रधान पुत्र देवानन्द निवासी ग्राम नुवागाँव थाना छेन्दीपाड़ा जनपद अंगुल उड़ीसा उम्र करीब 38 वर्ष
2. संदीप रौल पुत्र खिरौद निवासी ग्राम नुवागाँव थाना छेन्दीपाड़ा जनपद अंगुल उड़ीसा उम्र करीब 24 वर्ष को मौके से पुलिस बल द्वारा गिरफ्तार कर उनके पास मौजूद गांजा व घटना में प्रयुक्त एक अदद स्विफ्ट डिजायर कार नं0 OR15 N 4799 को कब्जा पुलिस लिया गया। उक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना चितईपुर पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण-

1. दीपक कुमार प्रधान पुत्र देवानन्द निवासी ग्राम नुवागाँव थाना छेन्दीपाड़ा जनपद अंगुल उड़ीसा उम्र करीब 38 वर्ष
2. संदीप रौल पुत्र खिरौद निवासी ग्राम नुवागाँव थाना छेन्दीपाड़ा जनपद अंगुल उड़ीसा उम्र करीब 24 वर्ष।

पंजीकृत अभियोग का विवरण-

- मु0अ0सं0 0059/2024 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना चितईपुर कमिश्नरेट वाराणसी।

बरामदगी का विवरण-

1. 40.710 किलोग्राम अवैध गांजा (अनुमानित कीमत करीब 40 लाख रूपये)
2. घटना में प्रयुक्त 01 अदद स्विफ्ट डिजायर नं0 OR15 N 4799

गिरफ्तारी का दिनांक, समय व स्थान –

- दिनांक 12.04.2024 स्थान- करमनबीर तिराहा थाना चितईपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

एसओजी/ इन्टेलिजेंस विंग	थाना चितईपुर
1.उ0नि0 मनीष कुमार मिश्र (प्रभारी SOG) 2.उ0नि0 गौरव कुमार सिंह 3.हे0का0 विजय शंकर राय 4.हे0का0 ब्रह्मदेव सिंह 5.हे0का0 चन्द्रभान यादव 6.का0 पवन कुमार तिवारी 7.का0 आलोक मौर्या 8.का0 मयंक त्रिपाठी 9.का0 दिनेश कुमार 10.का0 अंकित मिश्रा 11.हे0का0चा0 उमेश सिंह 12. हे0का0 सन्तोष पासवान (सर्विलांससेल)	1.उ0नि0 चन्द्रदीप कुमार(थानाध्यक्ष चितईपुर) 2.उ नि00अजय दुबे (चौकी प्रभारी चितईपुर) 3.उ नि00आदित्य सिंह (चौकी प्रभारी सुन्दरपुर) 4.उ नि0 0अंशुमान सिंह 5.उ नि0 0अनिल सिंह

नोट- गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली टीम को पुलिस उपायुक्त काशी जोन महोदय द्वारा 25000/- रुपये के नगद पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया।

सोशल मीडिया सेल
पुलिस उपायुक्त, काशी जोन
कमिश्नरेट वाराणसी।